

<p style="text-align: center;">प्रमाणित रूप-पत्र 43 उार प्रदेश सरकार व्यापार कर वापस के समायोजन का वाउचर</p>	<p style="text-align: center;">प्रमाणित रूप-पत्र 43 उार प्रदेश सरकार व्यापार कर वापस के समायोजन का वाउचर</p>
<p>पुस्तक संख्या. .... वाउचर संख्या. .... व्यापारी ..... ( का नाम व पूरा पता) जी.आई.आर.संख्या.. .... कर निर्धारण पत्रावली.. .... कर निर्धारण वर्ष.. .... वापसी की आज्ञा का दिनांक.. .... वापसी की आज्ञा देने वाला अधिकारी.. .... वापसी की धनराशि.. .... (शब्दों और अंक दोनों में) वापसी का प्रकार (क)उार प्रदेश / केन्द्रीय. .... (ख)व्यापार कर/अर्थदण्ड/शुल्क/विविध/ब्याज जमा विवरण खजाना चालान की                   स्टेट बैंक शाखा/ संख्या दिनांक धनराशि           खजाना / उप-खजाना .....                                   जहाँ धनराशि जमा की   गई थी।</p>	<p>पुस्तक संख्या.. .... वाउचर संख्या.. .... सेवा में, खजाने का अधिकारी/उपखजाने का अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक.. .... ..... प्रमाणित किया जाता है कि 1.कर निर्धारण वर्ष.. .... के निर्देश में श्री/सर्वश्री.. ....की ..... रूपये (शब्द और अंक में) की वापसी देय है 2. जिस धनराशि में सम्बन्धित यह वापसी दी जा रही है, उसे खजाने में जमा कर दिया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है: खजाना चालान की संख्या           स्टेट बैंक की शाखा / दिनांक धनराशि                   खजाना/उपखजाना .....                                   जहाँ धनराशि जमा की गयी थी</p>
<p>संलग्न खजाने के चालान के अनुसार निम्नलिखित के प्रति समायोजित किया जायेगा - (क) उार प्रदेश /केन्द्रीय (ख)व्यापार कर /अर्थदण्ड/शुल्क/विविध/ब्याज. .... (ग) वर्ष 19.. ....19.. ....के लिए व्यापार कर अधिकारी/असिस्टेंट कमिश्नर (कर निर्धारण) के पूरे हस्ताक्षर.. .... दिनांक.. .... खजाना /उपखजाना/स्टेट बैंक.. .... में वाउचर भुनाने का दिनांक.. ....</p>	<p>1. उपर्युक्त धनराशि के सम्बन्ध में कोई वापसी की आज्ञा इसके पहले नहीं दी गई है और वापसी की इस आज्ञा को वापसी स्वीकृत करने वाली आज्ञा की मूल प्रति में और अन्य सुसंगत अभिलेखों में दिनांक सहित मेरे हस्ताक्षर से प्रविष्ट कर दिया गया है; तथा 2. उपर्युक्त व्यापारी की ओर उार प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट/केन्द्रीय विवरण कर अधिनियम के अधीन वर्ष 19.. .... 19.. .... के लिए व्यापार कर/अर्थदण्ड/शुल्क/ब्याज/विविध के रूप में. ....रूपये की धनराशि बकाया है। या 3. उपर्युक्त व्यापारी ने यह प्रार्थना की है कि वापसी की इस धनराशि को उार प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट/केन्द्रीय विवरण कर अधिनियम के अधीन वर्ष.. 19.. .... 19.. ....के लिए व्यापार कर /अर्थदण्ड/शुल्क/ब्याज/विविध के प्रति समायोजित कर दिया जाय। 4. अतएव वापसी की उपर्युक्त धनराशि को. ....के प्रति संलग्न खजाना चालान के अनुसार उार प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट/केन्द्रीय विवरण कर अधिनियम के अधीन वर्ष 19.. ....19.. ....के लिए जमा कर दिया जाय और प्राप्त हो तो खजाना चालान की दो प्रतिलिपियां मुझे भेज दी जाय। स्थान.. ....हस्ताक्षर व्यापार कर अधिकारी/असिस्टेंट कमिश्नर (कर निर्धारण) दिनांक.. ....सेक्टर.. .... सर्किल/सब-सर्किल प्रतिहस्ताक्षरित आहरण एवं वितरण अधिकारी परीक्षण किया और उार प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट/केन्द्रीय विवरण कर अधिनियम के अधीन वर्ष 19.. ....19.. ....के लिए. ....रूपये (शब्द और अंक दोनों में) का समायोजन किया। लेखाकार                   प्रभारी                   उपखजाना//खजाना   अधिकारी                   स्टेट बैंक</p>